सरकार के परिपत्र क्रमांक 4406-4 जी0 एस0- 1-70-13634, दिनांक 4-6-70 की प्रति, सभी विभागाध्यक्षों को सम्बन्धित इत्यादि. इत्यादि ।

विषय : अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाना ।

श्री मान जी,

मुझे उपर्युक्त विषय पर सरकारी परिपत्र संख्या 4776-3 जी0 एस0-64/15823, दिनांक 19/21 मई, 1964 (सरकारी परिपत्र संख्या 4449-2 जी0 एस0-68/22951, दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 द्वारा संशोधित) की ओर ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि कर्मचारी के अभिलेख का निर्धारण करते समय उसकी सरकारी सेवा में प्रवेश करने से लेकर सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया जाता है। ऐसा विचार है कि यह पद्धति असंतोषजनक है, विशेषतया ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी विशेष के पिछले 9 या 10 वर्ष का कार्य आरम्भ के वर्षों के कार्य से बहुत भिन्न स्तर का हो । क्योंकि ऐसे निर्धारण का मुख्य उद्देश्य निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय लेना है कि क्या सम्बन्धित कर्मचारी राज्य सरकार के लिए अगले तीन वर्षों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है (जब उसने 55 वर्ष की आयु पूरी की हो) इसलिये पहली रिपोर्ट की अपेक्षा हाल ही की रिपोर्ट अधिक उपयुक्त और सार्थक होंगी । जिसमें से बहुत सी रिपोर्टें कर्मचारियों के निनुग्रेड से भी सम्बन्धित हो सकती हैं। अतः यह निश्चित किया गया है कि जब तक अन्यथा कार्यवाही करने के लिये विशेष और आपवादिक कारण न हों, साधारणतया भविष्य में ऐसा निर्धारण कर्मचारी की पिछली केवल 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे केस हो सकते हैं जहां किसी कर्मचारी का कार्य उच्चतर स्थानापन्न वेतनमान में असन्तोषजनक रहा हो और यह देखा जाना उचित हो कि क्या उसे सेवा निवृत किया जाना चाहिए या उसे मूल निचले वेतनमान में प्रत्यवर्तित किया जाना चाहिए । ऐसे केसों में अभिलेख के सभी सम्बन्धित इन्दराजों का निरीक्षण करना स्पष्ट रूप से आवश्यक होगा, चाहे वे दस वर्ष से पहले के समय से सम्बन्धित हो ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए और इसमें उल्लिखित अनुदेशों को विधिवत पालनार्थ नोट किया जाए ।